

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज</p> <p>यशपालसिंह बनाम लो.सू.अ. (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर)</p> <p>सू.अ.अ. अपील संख्या 118/2019</p>	<p>नं० व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
<p>30.07.19</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी यशपालसिंह मार्फत डा. जयसिंह राठौड़ पता नसरानी सिनेमा के पीछे, प्रथम ए रोड, सरदारपुरा जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना-पत्र दिनांक 07.06.19 में उसके द्वारा (1) संलग्न पत्र क्रमांक AFST/S2068/1/wks दि० 12.11.18 द्वारा एम. श्रीवास्तव ए ग्रुप केप्टीन ए स्टेशन वर्क ऑफिसर, एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर रातानाड़ा द्वारा जिला कलक्टर जोधपुर को लिखे गये पत्र पर जिला कलक्टर द्वारा उक्त पत्र के क्रम में की गई सम्पूर्ण कार्यवाही की प्रमाणित प्रति, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पों.पक्ष (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी आज अनुपस्थित।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पों. (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) से आदिनांक तक कोई तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना रिकॉर्ड पर उपलब्ध होने पर प्रार्थी को 15 दिवस में सूचना उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</p>	